धरमिन्दर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

3 सितंबर 2002

[न्यायमूर्ति और. सी. लाहोटी और न्यायमूर्ति बृजेश कुमार]

दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत दोषसिद्धि- मृतक ने अपने बेटे को बचाने के लिए अभियुक्त को गोली मारकर आहत कर दिया। अभियुक्त द्वारा मृतक की ओर से आक्रामकता का आरोप लगाते हुए आत्मरक्षा का अभिवाक किया। अपील पर, अभिनिर्धारित मामले के तथ्य अभियोजन को साबित करते हैं। अभियुक्तगण की याचिका संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर भी साबित नहीं हुई, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय उचित है।

दंड संहिता, 1860 अध्याय IV साक्ष्य अधिनियम 1872, धारा 105- अभियुक्त की आत्मरक्षा का अधिकार- सिद्धिभार-अभिनिर्धारित, आत्मरक्षा का अधिकार साबित करना अभियोजन जितना दुर्भर नहीं है अपने मामले को साबित करने के लिए जहां तथ्य और परिस्थितियां संभावनाओं की प्रबलता को प्रतिरक्षा की ओर ले जाती है, यह आत्मरक्षा के मामले को साबित करने के लिए दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त होगा।

दाण्डिक विचारण- अभियुक्त के लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देने का प्रभाव अभिनिर्धारित किया गया। अभियोजन पक्ष की अभिसाक्ष्य को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय झूंठ से सच को विभेदित कर सकती है।

अपीलकर्ताओं सहित छह अभियुक्तगण पर एक व्यक्ति की हत्या करने, उसके बेटे की हत्या करने का प्रयास करने और उसकी पत्नी को साधारण उपहति चोटें पहुंचाने का मुकदमा चलाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक अपना गाँव और संपत्ति छोड़कर लगभग 20 से 22 वर्षों तक वहाँ से दूर रहा और अपने बेटे के समझाने पर गाँव वापस आ गया। घटना के दिन मृतक की पत्नी ने अपीलार्थी-अभियुक्त को पेड़ काटते और मृतक को खेत जोतते देखा। वह अपने बेटे को इसकी जानकारी देने जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, उसने शोर मचाया और जब उसका बेटा उसे बचाने आया तो सभी आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे कई चोटें आई। अपने बेटे, मृतक पर हमला देखकर उसे असहाय पाकर, अपने बेटे को बचाने के लिए हमलावरों को डराने के लिए 20 मीटर की दूरी से अपनी बंदूक से गोली चलाई जिससे अभियुक्त 'डीएन' के शरीर के निचले हिस्सों पर चोटें आई। इसके बाद आरोपियों ने मृतक

की बंदूक छीन ली और उस पर कई वार किए, जिससे उसके सिर पर कई चोटें आई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।

अभियोजन साक्षी-14 ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में उल्लेख किया था कि मृतक ने अपने बेटे पर जानलेवा हमले के कारण अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डीएन' को घायल कर दिया था। लेकिन न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डी' ने बंदूक की गोली चलाई। प्रतिरक्षा पक्ष का मामला यह था कि मृतक अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए बंदूक से सुसज्जित होकर आया और अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डीएन' पर हमला किया जो अकेला था। अभियुक्त 'डीएन' ने मृतक के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी दर्ज कराया, जिसे मृतक की मौत के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। प्रतिरक्षा पक्ष ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा किया। प्रतिरक्षा साक्षी- 1 ने प्रतिरक्षा मामले का इस सीमा तक समर्थन किया कि उसने अभियुक्त को आहत घायल देखा था लेकिन प्रतिरक्षा साक्षी- 2 ने मामले का समर्थन नहीं किया। अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डी' और एक अन्य अभियुक्त ने अपने लिखित कथन में कहा कि वे वास्तविक घटना के समय उपस्थित नहीं थे और न ही उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था। एक अन्य अभियुक्त ने अपने लिखित कथन में कहा कि गोली की आवाज सुनकर जब वह मौके पर

पहुंचा तो उसने एक तरफ अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डीएन' और दूसरी तरफ मृतक और उसके बेटे के बीच लड़ाई देखी।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 307/34, 323/34 के तहत दोषी ठहराया और बाकी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय ने यथावत रखा था, इसलिए अभियुक्त-अपीलकर्ताओं और राज्य द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रति अपीलें हैं। न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभि-निर्धारित सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की। जहां तक अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण की चोटों को छुपाने का प्रश्न है, तथ्यात्मक रूप से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह सच है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आरोपियों की चोटों के बारे में उल्लेख नहीं है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पीडब्लू 6 द्वारा दर्ज की गई थी जो घटना का चक्षु साक्षी नहीं था। लेकिन अभियोजन साक्षी-14 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा। यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने के कारण मृतक ने बंदूक से गोली चलाकर अभियुक्त 'डीएन' को घायल कर दिया था। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त 'डीएन' की चोटों को लेकर कोई दमन हुआ था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान में अनुसंधान एजेन्सी को पहली बार अवसर मिलते ही इसका प्रकटीकरण किया गया।

2-1 अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण दे लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अभियोजन का मामला झूठा है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

तुखजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंह और अन्य, [2001] 6 एस.सी.सी. 145 एवं राजिंदर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, [2000] 4 एस.सी.सी. 298, पर निर्भर।

2.2 वर्तमान मामले में अनुसंधान के दौरान उस तथ्य पर ध्यान दिया गया जो इस मामले के अनुसंधान के दौरान प्रकाश में आया, विशेष रूप से मृतक द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली से अभियुक्त 'डीएन' को लगी चोटों के संबंध में, जो कि उसकी प्रथम सूचना प्रतिवेदन में 'डीएन' का मामला भी था। अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया है और न्यायालय के समक्ष कथन में अपीलकर्ता-अभियुक्त 'डी' को गोलीबारी की जिम्मेदारी सौंपने के पीडब्लू 14 के प्रयास को उसके पिछले कथन के साथ सामना करके विफल कर दिया गया था। दरअसल अनुसंधान अधिकारी ने कुछ सीमा तक अभियुक्त 'डीएन' की रिपोर्ट पर मामले का अनुसंधान किया था, उनके सामने दोनों संस्करण थे।

काशीराम एवं अन्य बनाम एम.पी. राज्य, [2002] 1 एस.सी.सी. 71

3. भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार अभियुक्त को प्राप्त है एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त को अपना मामला अपवादों में उदाहरणार्थ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का अभिवाक स्थापित करने के लिए सिद्धिभार अभियुक्त पर है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए सिद्धी का भार उतना दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन पक्ष पर अपना मामला साबित करने का है। और जहां तथ्य और परिस्थितियों से संभावनाओं की प्रबलता प्रतिरक्षा मामले के पक्ष में हैं, यह आत्मरक्षा के मामले का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त होगा।

4. यदि मृतक अभियुक्त 'डीएन' से निपटने के लिए भरी हुई बंदूक से सुसज्जित होकर आक्रामकता के लिए तैयार हो गया था, तो वह लगभग 20 मीटर की दूरी से गोली नहीं चलाएगा, जिससे केवल शरीर के निचले हिस्से पर चोट लगेगी बल्कि ज्यादातर चोटें पैरों और जांघों पर होती हैं। यह परिस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करती है कि मृतक ने अपने बेटे को बचाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया था, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। यह मृतक की ओर से आक्रामकता का आरोप लगाते हुए निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा बनाई गई कहानी के विरूद्ध भी है। यह अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है

कि अभियुक्त 'डीएन' बंदूक की गोली लगने के बाद मृतक के बेटे को इतनी बड़ी संख्या में चोटें पहुंचाने में सक्षम होगा और मृतक के सिर पर भी इतनी ताकत से चोट पहुंचाई, जिससे बहुसंख्यक अस्थि भंग हो गये। घटनास्थल पर ही तत्काल मौत अनुक्रम अभियोजन पक्ष के मामले में दी गई घटनाओं को चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ व्यापक संभावनाओं से भी समर्थन मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक की पत्नी और बेटे पर पहले अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और मृतक अपने बेटे को बचाने के लिए बाद में पहुंचे और तब तक उनके बेटे को काफी चोटें आ चुकी थी। मृतक की पत्नी और अभियुक्त की बेटी को लगी एक-एक साधारण चोट का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह किसी न किसी स्तर पर उनकी मौके पर उपस्थिति का ही संकेत देता है। यह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है कि मृतक की पत्नी पर प्रारंभिक चरण में सबसे पहले हमला किया गया था।

5. अभियोजन पक्ष का मामला इस परिस्थिति से भी समर्थित है कि जिस समय मृतक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तो अभियुक्त व्यक्तियों के लिए मृतक के बेटे के शरीर पर इतनी बड़ी संख्या में चोटें, जिनकी संख्या 20 चोटें हो, पहुंचाया जाना अधिक संभव होता। मृतक के आने और गोली चलाने और अभियुक्त 'डीएन' को चोटें लगने के बाद यह संभव नहीं हो सका।

6. यह सच है कि प्रतिरक्षा साक्षी-1 अभियुक्त 'डीएन' द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करता है लेकिन प्रतिरक्षा साक्षी-2 प्रतिरक्षा मामले का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि जब वह पहुंचा तो उसने पाया कि अभियुक्त को मौके से हटा दिया गया था। उसने किसी पर कोई हमला नहीं देखा था। प्रतिरक्षा साक्षी-1 के कथन पर विश्वास करना मुश्किल है।

7. प्रतिरक्षा पक्ष का मामला कि मृतक अपनी संपत्ति वापस चाहता था और इस उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आया, किसी भी परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक ने गांव और संपत्ति छोड़ दी थी और अभियोजन पक्ष के अनुसार वह बेहद निराश था। वह लगभग 20-22 वर्ष तक घर से दूर रहा। वह अपने लिए या अपनी संपत्ति के वशीभूत नहीं बल्कि अपने बेटे के आग्रह पर यानी अपने बेटे के वात्सल्य के लिए गांव लौटा था। यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि 20-22 वर्षों के दौरान या गाँव वापस आने के एक वर्ष की अवधि के दौरान उसने अभियुक्त 'डीएन' के नाम पर किए गए अभिलेख में प्रविष्टियों के खिलाफ किसी प्राधिकरण या न्यायालय में चुनौती दी हो या हो सकता है कि उन्होंने उनसे संपत्ति वापस करने को कहा हो। न ही उसने संपत्ति वापस पाने के लिए पहले कोई प्रयास किया और इस पृष्ठभूमि में यह तर्क उचित नहीं लगता कि एक सुबह वह अचानक संपत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए बंदूक से सुसज्जित होकर जाएगा। दूसरी ओर, अभिलेख पर

इस बात के सबूत हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि आरोपियों में से एक ने मृतक के बेटे से कहा था कि वे उस दिन घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति मृतक की वापसी से खुश नहीं थे और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ परेशानी आने वाली थी। इनसे साफ पता चलता है कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से घटित हुई और संभावनाओं की प्रबलता भी प्रतिरक्षा मामले का समर्थन नहीं करती है।

8. हमले में उनकी गैर-भागीदारी और गैर-संलिप्तता के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई उनको मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करने में हस्तक्षेप करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 445/ 2001

आपराधिक अपील संख्या 304/98 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.09.2000 से

उदभूत साथ में 2001 की आपराधिक अपील संख्या 838 साथ में 2001 की आपराधिक अपील संख्या 693 चंद्रकांत नायक (ए.सी.) अनिल सोनी, कु. आभा जोशी एवं मीनाक्षी अरोड़ा, अनिल नाग, राजीव बंसल और अक्षय गाई पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय ब्रिजेश कुमार न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

उपरोक्त अपीलें दाण्डिक अपील संख्या 304 एवं 367/1998 हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 सितंबर 2000 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं। हमारे समक्ष तीन अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है और उनका निपटारा एक समान/सामूहिक निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

लायकराम की हत्या के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत उनकी सजा के विरूद्ध धरमिंदर और दुर्गानंद द्वारा अपील की गई है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को 5000 रुपये का अर्थदण्ड भी भरना होगा और अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्हें लायकराम के बेटे नीलकंठ की हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 के तहत भी दोषी ठहराया गया है और सात साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है और अर्थदण्ड अदायगी में व्यक्तिक्रम पर प्रत्येक को छः महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। उन्हें लायकराम की पत्नी गंगावती को साधारण चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया है और छः महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है

और प्रत्येक को 500 रुपये का अर्थदण्ड भी देना होगा और अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील का संबंध है, इसे विचारण न्यायालय द्वारा हुकमो देवी, प्रमोद कुमार और पद्माराम को दोषमुक्त करने और उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखे जाने के विरूद्ध दायर की गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 24.10.1995 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न घटित हुई। जब गंगावती अभियोजन साक्षी-5 जंगल से घास काटकर अपने घर लौट रही थी, तो उसने पेड़ काटने की आवाज सुनी और मौके पर जाने पर उसने देखा कि अपीलकर्ता दुर्गानंद उसके बाड के पेड़ को काट रहा था और अपीलकर्ता धरमिंदर खेत की जुताई कर रहा था। वह अपने बेटे को सूचित करने के लिए अपने घर जाना चाहती थी लेकिन इसी बीच अपीलकर्ताओं ने हुक्मू देवी, भास्करनंद और बिमला देवी के साथ मिलकर उस पर डंडों से हमला कर दिया। प्रमोद ने भी उनकी मदद की। उसने शोर मचाया, जिस पर उसका बेटा नीलकंठ उसे बचाने के लिए पहुंचा। सभी आरोपियों ने नीलकंठ को पीटना शुरू कर दिया। इस निर्मम हमले को देखकर, नीलकंठ के पिता और अभियोजन साक्षी-5 गंगावती के पति लायकराम ने अपने बेटे को बचाने में खुद को असहाय पाया, उन्होंने बंदूक उठाई और आक्रमणकर्ताओं को डराने के लिए गोली चला दी, जिसके

परिणामस्वरूप दुर्गानंद के पैर, जांघें और पेट पर चोटें आई। बताया जाता है कि आरोपियों ने लायकराम की बंदूक छीन ली और उसे लाठियां भी मारीं। बताया जाता है कि उन्होंने लायकराम और नीलकंठ को खेत के नीचे धक्का दे दिया। दुर्गानंद ने लायकराम के सिर पर पाइप से वार कर दिया, चोट लगने से लायकराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि नीलकंठ को भी गंभीर चोटें आई थी और उसे लायकराम के शव के पास फेंक दिया गया था।

अभियोजन साक्षी-14 नीलकंठ की पत्नी कांतादेवी मदद के लिए शिवलाल के घर पहुंची। वह मौके पर औई और देखा कि लायकराम मृत पड़ा हुआ था और नीलकंठ घायल अवस्था में था। वह लाफू-घाटी गए जहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और उनका कथन अभियोजन साक्षी-18 प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया। वह नीलकंठ को भी ठियोग ले गए और चिकित्सालय में भर्ती करवाया।

पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अपराध करने के हेतुक के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि गंगावती के पिता गणेशु के कहने पर पद्माराम केलवी जुब्बर गांव में गणेशु के घर में रहने लगा, गंगावती की उम्र तब लगभग 6 या 7

साल थी। लायकराम और दुर्गानंद पदमाराम के बेटे हैं। गणेशु की मृत्यु पर पद्माराम गणेशु की सारी संपत्ति की देखभाल करने लगा। यह भी बताया जाता है कि गणेशु की इच्छा थी कि उसकी बेटी गंगावती की शादी लायकराम से हो, वयस्क होने पर गंगावती को अपने पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में मिली। पदमाराम ने अपने बेटे लायकराम की शादी गंगावती से की। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पद्माराम चाहते थे कि गंगावती को उत्तराधिकार में मिली संपत्ति में आधे हिस्से की सीमा तक दुर्गानंद को भी सह-हिस्सेदार के रूप में दर्ज किया जाए, लेकिन गंगावती और लायकराम इस पर सहमत नहीं थे। अपीलकर्ता दुर्गानंद, पद्माराम और परिवार के अन्य सदस्यों ने लायकराम को इस मामले में इतना परेशान किया कि वह उस समय दूसरे घर में रहने लगा और बाद में उसने नीलकंठ को जन्म दिया। आगे कहा कि लायकराम करीब 20-22 साल तक घर से बाहर रहा, इस बीच पदमाराम गंगावती की संपत्ति में आधा हिस्सा दुर्गानंद के नाम दर्ज कराने में सफल हो गया, नीलकंठ ने वर्ष 1994 में दिवाली त्यौहार के दौरान अपने पिता को गाँव वापस आने के लिए मना लिया। लायकराम की वापसी पद्माराम, दुर्गानंद और उनके परिवार के सदस्यों को इस कदर पसंद नहीं औई कि वे उसे समाप्त करना चाहते थे और इस संबंध में यह भी कहा गया है कि पद्माराम ने गंगावती और नीलकंठ को अपने घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा था। दिनांक 24.10.1995 को उन्हें एेसी घटना घटित होने की आशंका थी। दिनांक

24.10.1995 को घटना घटित होने के संबंध में अभियुक्तगण ने विवाद नहीं किया है। इस घटना में लायकराम की मृत्यु हुई और नीलकंठ के चोटें आई परन्तु उन्होंने निजी प्रतिरक्षा का अभिवाक लिया। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत प्रतिरक्षा में अपने लिखित बयान भी प्रस्तुत किए हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार खसरा नंबर 69, 206/17 और 178 की 24 बीघे 9 बिस्वा भूमि चक लाफू, पेरगना धरती, गांव केलवी जुब्बर में स्थित है, जो उनकी है। गांव में आकर लायकराम ने उन्हें जमीन से निष्काषित करने का षडयंत्र रचा, इस दृष्टि से दिनांक 24.10.1995 को अपराह्न लगभग 2.00 बजे जब दुर्गानंद प्लॉट नंबर 69 पर काम कर रहे थे तो लायकराम, गंगावती और नीलकंठ ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। लायकराम, जो बंदूक से सुसज्जित था, ने गोली चला दी जिससे दुर्गानंद घायल हो गया, जिस पर दुर्गानंद ने लायकराम से बंदूक छीनने के बाद लायकराम और नीलकंठ पर हमला कर दिया और गंगावती से डंडा छीन लिया, नीलकंठ और अन्य के हाथों दुर्गानंद को चोटें आई। दुर्गानंद ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई जिसका पुलिस ने आंशिक अनुसंधान किया। दुर्गानंद के अनुसार लड़ाई एक तरफ उनके और दूसरी तरफ लायकराम और नीलकंठ के बीच थी। अपीलकर्ता धरमिंदर, हुक्मू देवी और पद्माराम ने दुर्गानंद द्वारा लिये गये आत्मरक्षा के मामले को लेते हुऐ अपने अलग-अलग लिखित कथन प्रस्तुत किये उनके मुताबिक धरमिंदर और पद्माराम न तो वास्तविक घटना स्थल के समय मौजूद थे अैर न ही

उन्होंने पूरी लडाई में भाग लिया। प्रतिरक्षा में प्रमोद द्वारा एक और लिखित बयान दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा और देखा कि एक तरफ दुर्गानंद और दूसरी तरफ लायकराम और नीलकंठ के बीच लड़ाई हो रही थी। वह दुर्गानंद को अस्पताल ले गया।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 18 साक्षीगण पेश किए हैं, जिनमें से अभियोजन साक्षी-4 गंगावती, अभियोजन साक्षी-5 नीलकंठ और अभियोजन साक्षी-14 श्रीमती कांता चक्षु साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी-14 कांता, नीलकंठ की पत्नी है। अभियोजन साक्षी-6 शिवलाल ने ठियोग औरक्षी केन्द्र में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। अभियोजन साक्षी-12 डॉ0 अश्वनी तोमर ने नीलकंठ की चोटों का परीक्षण किया और चोटों का मेमो प्रदर्श अभियोजन साक्ष्य-12 तैयार किया। अभियोजन साक्षी-13 डॉ. कुलदीप कंवर ने गंगावती का चिकित्सकीय परीक्षण किया और चोटों का प्रतिवेदन तैयार किया लेकिन डॉक्टर ने बयान में इसे साबित नहीं किया है। पीडब्लू-13 डॉ. कुलदीप कंवर ने लायकराम के शव का पोस्टमार्टम भी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, (शवपरीक्षण प्रतिवेदन) प्रदर्श अभियोजन साक्ष्य-13/बी है। मामले का अनुसंधान अभियोजन साक्षी-18 श्री प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। अभियोजन साक्षी-15 श्री मोहन सिंह, भारसाधक अधिकारी औरक्षी केन्द्र

ठियोग ने बताया कि उन्होंने दुर्गानंद की रिपोर्ट की आंशिक जांच की है। उन्होंने शिवलाल की रिपोर्ट पर मामले का अनुसंधान किया है, शेष साक्षी कमोबेश औपचारिक प्रकृति के हैं।

जहां तक अभियुक्त व्यक्तियों का प्रश्न है, उन्होंने प्रतिरक्षा पक्ष के चार साक्षीगण को परीक्षित किया है। प्रतिरक्षा पक्ष के कथन का समर्थन करने के लिए प्रतिरक्षा साक्षी-1 बलदेव सिंह को परीक्षित किया गया कि लायकराम बंदूक से सुसज्जित होकर मौके पर आया और दुर्गानंद पर गोली चला दी। प्रतिरक्षा साक्षी-2 जगतराम ने कहा कि हुक्मो की चीखें सुनकर वह मौके पर गया और पाया कि हुक्मो और धरमिंदर बलदेव और प्रमोद की मदद से दुर्गानंद को हटा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने घटनास्थल पर लायकराम, उनकी पत्नी और बेटे को नहीं देखा। प्रतिरक्षा साक्षी-3 श्री यशपाल ठाकुर, वरिष्ठ फार्मासिस्ट ने दुर्गानंद की चोटों को साबित करने के लिए अभिलेख तैयार किया। प्रतिरक्षा साक्षी-4 डॉ. पी.एल. घोंटा ने दिनांक 03.04.1997 को दुर्गानंद का परीक्षण किया और उसके अंडकोश से छर्रे बरामद किए।

अब हम उन चोटों का अध्ययन कर सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दोनों पक्षों को लगी थीं। सिविल अस्पताल ठियोग में नीलकंठ की चोटों का परीक्षण अभियोजन साक्षी-12 डॉ. कुलदीप तोमर द्वारा दिनांक 24.10.1995 को रात्रि 9.10 बजे किया गया, उसने पाया :

चोट नंबर 1

खोपड़ी पर कई फटे हुए घाव, जिनमें शामिल हैं -

(i) ललाट क्षेत्र पर एच आकार का घाव, प्रत्येक शाखा (छोर) 10 सेमी. हड्डी तक गहरा

(ii) चोट नंबर 1 के दाहिनी ओर (पार्श्व) V आकार के घाव सिर के पैराईटल (पार्श्विका) क्षेत्र पर लगभग 5 सेमी. की दूरी पर हड्डी तक गहरा भी

(iii) दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 6 सेमी. का फटा हुआ घाव हड्डी तक गहरा धनु तल में लाल रंग का

(iv) पश्चकपाल क्षेत्र पर क्षैतिज रूप में घुमावदार घाव 8 सेमी. हड्डी तक गहरा

(v) चोट संख्या (iv) से 5 सेमी. नीचे पश्चकपाल क्षेत्र पर फटा हुआ घाव 2 सेमी. X हड्डी तक गहरा

2. चेहरे पर दाहिनी ओर, दांहिनी जाइगोमैटिक और्च ¼ कपाेलीय चाप ½ के पास फटा हुआ घाव 7 सेमी., दांहिनी आंख का पार्श्व भाग तिरछा नीचे की ओर।

3. पांच नीलगू पीठ पर रीढ़ की हड्डी के 6 सेन्टीमीटर पार्श्व भाग से रीड की हड्डी के दांहिनी ओर तिरछे नीचे की ओर

4. दाहिनी बांह पर चार नीलगू के निशान, लाल नीला रंग 10 सेमी.X 2 सेमी. सूजन सहित दांहिनी त्रिज्या क्षेत्र में

5. पीठ पर बांई ओर तीन पैटर्न वाली नीलगू रीढ़ से 4 सेमी. पार्श्व में लालिमायुक्त नीला

6. दांहिने पैर पर खरोंच 10 सेमी. लम्बा उपरी 1/3 और निचले 2/3 पार्श्व पहलुओं में नीचे की ओर तिरछा

7. 10 सेमी.X 4 सेमी. लंबा भूरा-काला, रक्त के थक्के के साथ रैखिक खरोंच बाएं क्षेत्र पर। चोट नंबर 1 को जीवन के लिए खतरनाक माना गया है।

डॉक्टर के अनुसार जब उसे अस्पताल लाया गया तो वह अर्धचेतन अवस्था में था। चोटें लाठी और लोहे के पाइप से लग सकती हैं।

अभियोजन साक्षी-13 डॉ. कुलदीप कंवर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, ठियोग ने लायकराम के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि बांयी आंख की भौंह से दो इंच ऊपर बायीं ओर के ललाट भाग पर 2"x1/2"x1/2" का फटा हुआ घाव है, दांहिने हाथ की अनामिका एवं मध्यमा अंगुली पर पीछे की ओर खरोंच आकार लगभग 2"x2" है।

आंतरिक जांच करने पर डॉक्टर को बाएं ललाट पार्श्विका क्षेत्र में बहुसंख्यक अस्थिभंग का पता चला, यह घाव मस्तिष्क और इसके कवच तक फैला हुआ था। डॉक्टर की राय में लायकराम की मौत मस्तिष्क की चोट (क्षति) से हुई है।

अभियोजन साक्षी-13 डॉ. कुलदीप कंवर ने कहा कि उन्होंने अभियोजन साक्षी-4 गंगावती का चिकित्सकीय परीक्षण किया था, जिसे साधारण चोट लगी थी लेकिन डॉक्टर का कथन लेखबद्ध करते समय चोट प्रतिवेदन को औपचारिक रूप से साबित नहीं किया गया था।

दिनांक 24.10.1995 को शाम 5.00 बजे दुर्गानंद का चिकित्सकीय परीक्षण किया। चिकित्सक को दोनों पैरों, जांघों और पेट पर छर्रों के कई घाव मिले। चोट के चारों ओर जलने के निशान थे जो गोलाकार और अंडाकार आकार के थे। डॉक्टर की राय के अनुसार चोटें 20 मीटर से अधिक की दूरी से फायर किए गए आग्नेयास्त्र के उपयोग से कारित हुई।

अपीलकर्ता दुर्गानंद की भी प्रतिरक्षा साक्षी-4 डॉ. पी.एल. घोंटा, रजिस्ट्रार, यूरोलॉजी विभाग, आईजीएमसी, शिमला द्वारा जांच की गई। डॉक्टर ने अंडकोश से छर्रे निकाल दिए और यह भी कहा कि यह जीवन के लिए खतरनाक नहीं है।

जहां तक तथ्यों का सवाल है, घटना की तारीख समय और स्थान के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्षों को चोटें एक-दूसरे के हाथों लगीं लेकिन उनके अनुसार अलग-अलग तरीके से। इसलिए विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस पक्ष ने दूसरे पर हमले की शुरुआत की और किस तरीके और परिस्थितियों में की।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि अभियोजन पक्ष ने दुर्गानंद की चोटों को छिपाया है और यह अपने आप में अभियोजन के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि दुर्गानंद की चोटें अस्पष्टकृत रही हैं। इसलिए, आत्मरक्षा में शिकायतकर्ता पक्ष को चोट पहुंचाने की उनकी बात को स्वीकार किया जाना बाकी है।

थखाजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंग और अन्य [2001] 6 एस.सी.सी. 145 का अवलम्बन लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपर्युक्त मामले में की गई सम्प्रेक्षणों के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त व्यक्तियों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण दे, लेकिन निर्णय के पैराग्राफ 17 में यह भी सम्प्रेक्षित किया गया है कि आरोपियों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि अभियोजन का मामला झूठा है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। आगे यह देखा गया है कि "जहां साक्ष्य

स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां न्यायालय सच और झूठ को अलग कर सकती है, केवल यह तथ्य कि अभियुक्तों के पक्ष की चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता, अपने आप में एकमात्र आधार अभियोजन पक्ष के साक्षी के अभिसाक्ष्य और परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अभियोजन मामले को खारिज करने का नहीं हो सकता है।''

एक अन्य निर्णय 2000, (4) एस.सी.सी. 298 राजिंदर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य को रैफर [उल्लिखित] किया गया है। इसमें थखाजी (सुप्रा) के मामले के समान प्रतिपादनाएं प्रतिपादित की गई। सम्प्रेक्षित किया गया कि अभियुक्तों की चोटों का विवरण न दिया जाना स्वतः ही अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता। यह भी सम्प्रेक्षित किया गया कि सामान्यतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त की प्रत्येक चोट के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही चोटें घटना के दौरान लगी हों और वे प्रकृति में छोटी हों, लेकिन जहां चोटें गंभीर हैं, ऐसी चोटों का स्पष्टीकरण नहीं करने पर अभियोजन पक्ष के मामले को इस थोडे संदेह के साथ कि अभियोजन पक्ष ने घटना के वास्तविक संस्करण (कारण) को दबा दिया है, न्यायालय को इस ओर ध्यान आकर्षित करना पडता है।

ऊपर जो संकेत दिया गया है उसके अलावा, जहां तक अभियोजन पक्ष द्वारा दुर्गानंद की चोटों को दबाने का सवाल है, यह देखा जा सकता है

कि तथ्यात्मक रूप से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह सच है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दुर्गानंद की चोटों का उल्लेख नहीं है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियोजन साक्षी-6 शिवलाल द्वारा दर्ज की गई थी जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था लेकिन अभियोजन साक्षी-14 कांता ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में कहा। यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नीलकंठ पर जानलेवा हमला करने के कारण लायकराम ने बंदूक से गोली चलाकर दुर्गानंद को घायल कर दिया था। न्यायालय में दिए गए कथन में वह कहती नजर आई कि फायर धरमिंदर ने किया था, लेकिन उसका सामना उसके पिछले कथन से कराया गया, जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है। कथन में अन्य गवाहों ने भी अपनी ओर से फायरिंग की बात कही है, इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्गानंद की चोटों को लेकर कोई दमन हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत दिए गए कथन में अनुसंधान एजेंसी को पहली बार मौका मिलते ही इसका खुलासा किया गया।

फिर यह प्रस्तुत किया गया कि दुर्गानंद ने लायकराम के विरूद्ध अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन उस मामले का पुलिस ने अनुसंधान नहीं किया है अन्यथा अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया आत्मरक्षा का मामला स्पष्ट रूप से बना दिया गया होता। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक का

कहना था कि उन्होंने उस रिपोर्ट पर अनुसंधान शुरू कर दिया था, जो पूरा नहीं हुआ है, यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले में अभियुक्त लायकराम की मृत्यु हो चुकी है, मामले के आगे के अनुसंधान का कोई मतलब नहीं है। इस सवाल पर आगे जाए बिना कि लायकराम की मौत के मद्देनजर जांच सही तरीके से बंद की गई थी या नहीं, इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर जल्द ही चर्चा की जाएगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निजी प्रतिरक्षा के अपने मामले को साबित करने के लिए अपीलकर्ताओं ने अपने संस्करण के समर्थन में प्रतिरक्षा साक्षीगण को परीक्षित कराया। अपीलकर्ताओं सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अंतर्गत प्रतिरक्षा में अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया है। उन सभी को अभिलेख पर रखा गया है। इसलिए, वर्तमान मामले में गुणों की जांच, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर की जा सकती है और यह भी कि क्या तथ्य और परिस्थितियां अपीलकर्ताओं के पक्ष में आत्मरक्षा का मामला बनाती हैं या नहीं। इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि हालांकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसा लगता है कि दुर्गानंद ने भी अपनी प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर इस मामले को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया है जो विधि के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों और मामले के तथ्यों में, निर्णय [2002] 1 एस.सी.सी. 71 काशीराम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य से दुर्गानंद की रिपोर्ट की जांच न करने के प्रश्न पर अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलेगी। हमारा ध्यान विशेष रूप से निर्णय के पैरा 22 की ओर आकर्षित किया गया है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति पर चोटें देखी गई थीं, तो अनुसंधान अधिकारी चोटों के कारण का पता लगाने का प्रयास कर सकता था ताकि प्रतिरक्षा पक्ष का संस्करण अनुसंधान अधिकारी के समक्ष आ सके। मौजूदा मामले में हमने पाया है कि अनुसंधान में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है जो इस मामले के अनुसंधान के दौरान प्रकाश में आया था, विशेष रूप से लायकराम द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली से दुर्गानंद को कारित चोटों के संबंध में, जो कि दुर्गानंद का भी मामला था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियोजन पक्ष ने इसी तर्ज पर मामले में मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ाया है और न्यायालय के समक्ष कथन में अपीलकर्ता धरमिंदर को गोली मारने की जिम्मेदारी देने के अभियोजन साक्षी-14 के प्रयास को उसके पूर्व कथन के साथ सामना करके विफल कर दिया गया था। अनुसंधान अधिकारी ने वास्तव में दुर्गानंद की रिपोर्ट पर कुछ सीमा तक मामले का अनुसंधान किया था, उनके सामने दोनों संस्करण थे। काशीराम के मामले में ऐसा नहीं था।

उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV और साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्तियों को प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित अपवादों जैसे- व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अभिवाक को स्थापित करने के लिए सिद्धिभार से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया। इस बिंदु पर प्रासंगिक विधि पर विचार करने के बाद यह देखा गया है और हमारे विचार में यह सही है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए सिद्धिभार उतना दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन पक्ष के लिए अपने मामले को साबित करना है। और जहां तथ्य और परिस्थितियां प्रतिरक्षा मामले के पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता की ओर ले जाती हैं, यह आत्मरक्षा के मामले को साबित करने के लिए भार का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त होगा।

अब हम रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ-साथ रिकॉर्ड और आसपास की परिस्थितियों से उत्पन्न परिस्थितियों और संभावनाओं की प्रबलता के आलोक में वर्तमान मामले की खूबियों पर विचार कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोजन साक्षी-4 गंगावती पर पहले दुर्गानंद और अन्य लोगों द्वारा हमला किया गया था और उनके शोर मचाने पर उनका बेटा मौके पर पहुंचा, जिस पर भी दुर्गानंद, धरमिंदर और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने गंभीर रूप से हमला किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि इसी दौरान लायकराम, जो अपने

बेटे पर जानलेवा हमला देख कर अपनी पत्नी गंगावती की लाइसेंसी बंदूक उठा ली और गोली चला दी, जो दुर्गानंद को लगी जिससे उसके पैरों, जांघों पर कई छर्रे लगे और कुछ छर्रे उसके पेट पर लगे। इसके बाद दुर्गानंद द्वारा लायकराम से बंदूक छीन ली गई, इसके बाद लायकराम पर आरोपियों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में चोट लगी, सिर में बहुसंख्य अस्थिभंग है। प्राप्त चोटों के अधीन उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम पहले ही देख चुके हैं कि नीलकंठ को जो चोटें आईं, उनमें से कुछ चोटें बहुसंख्य थीं, जो कुल मिलाकर 20 से कम नहीं थीं, जो उनके संपूर्ण शरीर पर फैली हुई थीं, जिनमें से पांच सिर पर थीं। गंगावती के शरीर पर भी साधारण चोट पाई गई।

यह समझ में नहीं आता है, अगर लायकराम दुर्गानंद से निपटने के लिए भरी हुई बंदूक से सुसज्जित होकर आक्रामकता के लिए गया था, तो वह लगभग 20 मीटर की दूरी से गोली चलाएगा, जिससे 'डी' के शरीर के निचले हिस्से पर ही चोट लगेगी, बल्कि सबसे ज्यादा जिनमें से पैर और जांघों पर हैं। यह परिस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करती है कि लायकराम ने अपने बेटे नीलकंठ को बचाने के लिए अपनी पत्नी गंगावती की लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया था, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। यह लायकराम की ओर से आक्रामकता का आरोप लगाते हुए निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा

बनाई गई कहानी के खिलाफ भी है। चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं, जिसमें नीलकंठ के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों सहित बड़ी संख्या में चोटें पाई गई हैं। दुर्गानंद के अनुसार वह अपने पक्ष में अकेले थे, उन्होंने लायकराम की बंदूक और गंगावती को उसके डंडे से निहत्था कर दिया और लायकराम व नीलकंठ पर हमला कर दिया। बाद में दुर्गानंद की बेटी बिमला और उनकी पत्नी श्रीमती हुक्मु देवी भी आ गईं और उनके साथ भी मारपीट की गई। बताया जाता है कि दोनों को एक-एक साधारण चोट आई है। यह अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है कि बंदूक की गोली लगने के बाद दुर्गानंद नीलकंठ को इतनी बड़ी संख्या में चोटें पहुंचाने में सक्षम होगा और साथ ही लायकराम के सिर पर भी इतनी जोरदार चोट लगी होगी जिससे उसके सिर में कई फ्रैक्चर हुए, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो गई। यह भी गौरतलब है कि नीलकंठ जाहिर तौर पर उम्र में दुर्गानंद से छोटे होंगे। डॉक्टर के अनुसार दुर्गानंद को चिकित्सालय लाया गया, जो उस समय दर्द से कराह रहा था। बाद में उसके अंडकोश से छर्रे भी बरामद हुए। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि दुर्गानंद शिकायतकर्ता पक्ष से डंडा और बंदूक छीन सकेगा और ऊपर बताए गए तरीके से हमला भी करेगा। यह प्रत्येक पक्ष को लगी चोटों की संख्या का सवाल नहीं है, कभी-कभी एक हमलावर को रक्षकों की तुलना में अधिक चोटें लग सकती हैं लेकिन जो मामला सामने आया है वह उस तरह का मामला नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले में दिए गए

घटनाओं के क्रम को चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ व्यापक संभावनाओं से भी समर्थन मिलता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती गंगावती और नीलकंठ पर सबसे पहले दुर्गानंद और धरमिंदर ने हमला किया था और लायकराम अपने बेटे को बचाने के लिए बाद में पहुंचे और तब तक उनके बेटे को काफी चोटें लग चुकी थीं। अभियुक्त व्यक्ति लायकराम को निहत्था करने और उसके सिर पर इतनी ज़ोर से प्रहार करने में सफल रहे होंगे कि यह एक निर्णायक झटका साबित हुआ, जिससे सामान्य स्थिति में मौत के लिए पर्याप्त चोट लगी। नीलकंठ को पहले चोटें लगी होंगी, न कि दुर्गानंद पर गोली चलाने के बाद और आग्नेयास्त्र से चोटें लगने के बाद। हम गंगावती और बिमला दोनों को लगी एक साधारण चोट को इतना महत्व नहीं देते कि उनसे विस्तार से निपटना जरूरी हो जाए। यह किसी न किसी स्तर पर उनकी मौके पर मौजूदगी का ही संकेत देता है। यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है कि प्रारंभिक चरण में सबसे पहले गंगावती पर हमला किया गया था।

यह सच है कि प्रतिरक्षा साक्षी 1 बलदेव सिंह दुर्गानंद द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा साक्षी 2 जगत ने प्रतिरक्षा मामले का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जब वह पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि दुर्गानंद को मौके से हटा दिया गया था, उन्होंने किसी पर कोई हमला नहीं

देखा था। प्रतिरक्षा साक्षी 1 बलदेव सिंह के कथन पर भरोसा करना कठिन है।

अभियोजन पक्ष के मामले को इस परिस्थिति से भी समर्थन मिलता है कि उस समय लायकराम घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तभी दुर्गानंद और धरमिंदर के लिए नीलकंठ को पूरे शरीर पर इतनी बड़ी संख्या में 20 चोटें पहुंचाना बेहतर रूप से संभव हुआ। लायकराम के आकर गोली चलाने और दुर्गानंद के घायल होने के बाद यह संभव नहीं हो सकता था।

प्रतिरक्षा पक्ष के मामले की एक और विशेषता यह कि लायकराम अपनी संपत्ति वापस चाहता था और इस उद्देश्य के लिए दृढ़ था, यह किसी भी परिस्थिति से उत्पन्न नहीं हुआ है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लायकराम ने गांव और संपत्ति छोड़ दी थी और अभियोजन पक्ष के अनुसार वह बेहद निराश था। वह लगभग 20-22 वर्ष तक घर से दूर रहा। वह अकेले या अपनी संपत्ति के वशीभूत गांव नहीं लौटे, बल्कि अपने बेटे नीलकंठ के कहने पर यानी अपने बेटे के स्नेह के लिए गांव लौटे। ऐसा कहीं नहीं दर्शाया गया है कि 20-22 वर्षों के दौरान या गाँव वापस आने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान, उन्होंने दुर्गानंद के नाम पर किए गए अभिलेखों में प्रविष्टियों के विरूद्ध Agitate करते हुए किसी प्राधिकारी या न्यायालय का रुख किया हो, या हो सकता है उनसे संपत्ति वापस करने के लिए कहा है और न ही उन्होंने संपत्ति वापस पाने के लिए पहले कोई

प्रयास किया। इस पृष्ठभूमि में यह तर्क उचित नहीं लगता कि एक सुबह वह संपत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए अचानक बंदूक से सुसज्जित कर जाएगा। दूसरी ओर, रिकॉर्ड में इस बात के सबूत हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि पदमाराम ने नील कंठ से कहा था कि वे उस दिन घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभियुक्त लायकराम की वापसी से खुश नहीं थे और दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन कुछ परेशानी आने वाली थी। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से हुई और संभावनाओं की प्रबलता भी प्रतिरक्षा मामले का समर्थन नहीं करती है।

ऊपर बताए गए कारणों से हम पाते हैं कि सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने धरमिंदर और दुर्गानंद की सजा दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की।

जहां तक दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील का प्रश्न है, अभियोजन साक्षी-14 कांता ने कहा था कि पदमाराम घर में था। एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि प्रमोद और पद्माराम ने हमले में भाग नहीं लिया था और ऐसा लगता है कि वे घटनास्थल पर बाद में पहुंचे थे। जहाँ तक श्रीमती हुक्मू का प्रश्न है, यह पाया गया कि यद्यपि वह उपस्थित थी और भाग लिया था फिर भी उसकी संलिप्तता संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं हुई है।

हम इसे उत्तरदाताओं को दोषमुक्त करने में हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं, जिसे उच्च न्यायालय ने अभिलेखित और पुष्ट किया है।

परिणामस्वरूप, दुर्गानंद और धरमिंदर द्वारा उनकी दोषसिद्धि के विरूद्ध प्रस्तुत की गई सभी अपीलें और हुक्मू देवी, प्रमोद और पदमाराम को दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई सभी अपीलें योग्यता से रहित हैं और उन्हें खारिज किया जाता है।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद और्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश (और.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |